संख्या-8/2550 सी0डी0/46-3-14-1000(56)/2014

प्रेषक,

राम मोहन सक्सेना,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

चीनी उद्योग अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 07 नवम्बर 2014

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत गन्ना विभाग की शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम हेतु लेखानुदान अवधि /बजट में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 10.00 करोड़ एवं रु0 5.00 करोड़ एवं रु0 8.2350 करोड़ (कुल रु0 23.2350 करोड़) के व्यय/उपयोग के सम्बन्ध में प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक **1580/**विकास, दिनांक **25.08.2014,** पत्रांक 1606/विकास, दिनांक 09.09.2014, तथा पत्रांक 1684 /विकास, दिनांक 10.10.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा एस. एल. एस. सी. की बैठक दिनांक 31 मई, 2013 में समिति द्वारा गन्ना विकास के लिए वर्ष 2013-14 हेतु अनुमोदित कार्ययोजना लागत की धनराशि रु0 5877.85 लाख (रू0 अटठावन करोड़ सतहत्तर लाख् पचासी हजार मात्र) के सापेक्ष शासनादेश संख्या 992/ 12-3-2014-100(76)/2012, दिनांक 19 मई, 2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत गन्ना विभाग की शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम परियोजना अन्तर्गत लेखानुदान अवधि हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 10,00,00,000.00 (रू0 दस करोड़ मात्र) को **संलग्नक-1** में तथा कृषि विभाग के शासनादेश संख्या-1799/12-3-2014-100(76)/2012, दिनांक 13 अगस्त 2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत गन्ना विभाग की शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम परियोजना अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 5,00,00,000.00 (रू0 पांच करोड़ मात्र) को **संलग्नक-2** में एवं कृषि विभाग के शासनादेश संख्या-1930/12-3-2014-100(76)/2012, दिनांक 10 सितम्बर, 2014 द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2014-15 के अन्तर्गत गन्ना विभाग की शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम परियोजना अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 8,23,50,000.00 (रू0 आठ करोड़ तेइस लाख् पचास हजार मात्र) को **संलग्नक-3** दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार, एस. एल. एस. सी. की बैठक दिनांक 31 मई, 2013 में वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित गन्ना विकास विभाग के शुगरकेन सीड प्रोडेक्शन प्रोग्राम के भौतिक कार्यों हेतु, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतदद्वारा प्रशासकीय स्वीकृति/ अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 19 मई, 2014, दिनांक 13 अगस्त, 2014 एवं दिनांक 10 सितम्बर, 2014 में दिये गये शर्तों/प्राविधानों के अन्तर्गत समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य संबंधित को प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध करायी जाय।

(2) गन्ना विकास द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012, दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं संख्या-2331 सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012, दिनांक 22 नवम्बर, 2013 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइड लाइन्स) के आधार पर क्रियान्वित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2013-14 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा जनपदवार सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजनान्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरादायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) संलग्न विवरण में उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद एवं गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0 के लिए उल्लिखित कार्यक्रमों का जनपदवार विवरण एवं कार्ययोजना सुनिश्चित करते हुए विवरण शासन/कृषि विभाग को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

(5) प्रस्तर-1 में वर्ष 2013-14 के लिए अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में ही सुनिश्चित किया जाय। यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दी जाय। उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संलग्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उ0प्र0 बजट मैनुअल/फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित आदेशों/नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

संख्या-8/2550(1) सी0डी0/46-3-14-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी (संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)।
2-प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उ0प्र0 शासन।
3-अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ0प्र0।
4-निदेशक, श्री लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
5-निदेशक, उ0प्र0 गन्ना शोध परिषद, शाहजहांपुर, उ0प्र0।
6- समस्त संबंधित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
7- समस्त संबंधित जिलाधिकारी, उ0प्र0।
8- संयुक्त सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
9-समस्त वरिष्ठ/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0 (संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)।
10-नोडल अधिकारी (आर0के0वी0वाई0), उत्तर प्रदेश, कृषि भवन, लखनऊ।
11-नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
12-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1
13-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-8/2550 सी0डी0/46-3-14-1000(56)/2014, दिनांक 07 नवम्बर 2014 का **संलग्नक-1**

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 1000 लाख(रुपया दस करोड़ मात्र) का जनपद/कार्यक्रमवार फॉट

(धनराशि-लाख रू0)

क्र0सं0	नाम जनपद	नाम कार्यक्रम				योग
		आधार पौधशाला बीज वितरण	बीज यातायात		माइक्रोन्यूट्रियंट	
			अभिजनक	आधार		
1	2	3	4	5	6	7
1	सहारनपुर	26.00	0.630	2.950	45.89	75.47
2	मुजफ्फरनगर	27.34	0.730	3.470	36.58	68.12
3	शामली	4.67	0.280	1.330	14.22	20.50
	सहारनपुर क्षेत्र	58.01	1.640	7.750	96.69	164.09
4	मेरठ	27.27	0.425	3.815	44.76	76.27
5	बुलन्दशहर	16.28	0.240	2.160	15.51	34.19
6	बागपत	16.47	0.270	2.390	16.67	35.80
7	गाजियाबाद	3.28	0.060	0.610	0.00	3.95
8	हापुड़	6.62	0.120	1.060	9.06	16.86
	मेरठ क्षेत्र	69.92	1.115	10.035	86.00	167.07
9	बिजनौर	21.83	0.470	2.450	57.83	82.58
10	मुरादाबाद	11.50	0.320	0.480	5.51	17.81
11	अमरोहा	0.82	0.210	0.730	12.54	14.30
12	सम्भल	11.50	0.200	0.340	31.31	43.35
13	रामपुर	1.74	0.120	0.320	9.07	11.25
	मुरादाबाद क्षेत्र	47.39	1.320	4.320	116.26	169.29
14	बरेली	10.05	0.430	0.880	11.65	23.08
15	पीलीभीत	6.70	0.400	0.830	39.62	47.55
16	शाहजहॉपुर	10.59	0.310	0.650	22.39	33.94
17	बदायूँ	3.97	0.130	0.260	0.00	4.36
18	अलीगढ़	3.41	0.080	0.170	8.32	11.98
19	कासगंज	1.66	0.050	0.080	3.31	5.10
	बरेली क्षेत्र	36.38	1.400	2.870	85.29	125.94
20	फरूर्खाबाद	2.65	0.040	0.210	4.48	7.38
21	लखीमपुर	16.50	0.620	3.440	80.08	100.64
22	रायबरेली	0.15	0.010	0.040	0.93	1.13

http://shasanadesh.up.nic.in

23	कानुपर	0.68	0.020	0.100	0.00	0.80
24	सीतापुर	4.71	0.310	1.70	22.40	29.13
25	हरदोई	3.82	0.130	0.700	15.23	19.88
	लखनऊ क्षेत्र	28.51	1.130	6.200	123.12	158.96
26	बाराबंकी	2.35	0.000	0.000	5.18	7.53
27	फैजाबाद	0.00	0.000	0.060	14.51	14.57
28	अम्बेडकरनगर	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
29	सुल्तानुपर	0.00	0.000	0.140	0.00	0.14
30	जौनपुर	1.13	0.000	0.190	0.00	1.32
31	गाजीपुर	1.00	0.000	0.080	2.07	3.15
32	वाराणसी	0.00	0.000	0.000	0.00	0.00
	फैजाबाद क्षेत्र	4.48	0.000	0.470	21.76	26.71
33	बहराइच	3.11	0.050	0.550	4.43	8.14
34	गोण्डा	0.95	0.000	0.000	11.60	12.55
35	बलरामपुर	9.68	0.000	0.000	20.67	30.55
	देबीपाटन क्षेत्र	13.74	0.050	0.550	36.70	51.04
36	बस्ती	5.76	0.080	0.350	1.45	7.60
37	गोरखपुर	2.225	0.070	0.350	0.00	2.67
38	महराजगंज	2.80	0.000	0.000	0.00	2.80
39	सिद्धार्थनगर	1.78	0.050	0.200	0.00	2.03
	गोरखपुर क्षेत्र	12.59	0.200	0.900	1.45	15.14
40	कुशीनगर	2.80	0.210	0.800	4.61	8.42
41	देवरिया	0.000	0.000	0.000	6.32	6.32
42	मऊ	0.000	0.000	0.000	2.05	2.05
43	आजमगढ	0.000	0.030	0.000	3.78	3.81
44	बलिया	0.000	0.050	0.000	1.11	1.16
	देवरिया क्षेत्र	2.80	0.290	0.800	17.81	21.76
	योग प्रदेश	273.82	7.145	33.895	585.14	900.00
	शोध परिषद शाहजहॉपुर					100.00
	कुल योग					1000.00

(रू0 दस करोड़ मात्र)

नोटः-1-जनपद शामली, हापुड़ तथा सम्भल का आहरण क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद तथा मुरादाबाद द्वारा किया जायेगा।

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-8/2550 सी0डी0/46-3-14-1000(56)/2014, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 का संलग्नक-2

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 500 लाख(रुपया पॉच करोड़ मात्र) का जनपद/कार्यक्रमवार फॉट

(धनराशि-लाख रू0 में)

क्र0सं0	नाम जनपद	नाम कार्यक्रम प्रदर्शन	योग
1	2	3	4
1	सहारनपुर	24.60	24.60
2	मुजफ्फरनगर	30.90	30.90
3	शामली	12.00	12.00
	सहारनपुर क्षेत्र	**67.50**	**67.50**
4	मेरठ	27.00	27.00
5	बुलन्दशहर	12.00	12.00
6	बागपत	15.00	15.00
7	गाजियाबाद	3.00	3.00
8	हापुड़	6.00	6.00
	मेरठ क्षेत्र	**63.00**	**63.00**
9	बिजनौर	45.00	45.00
10	मुरादाबाद	12.00	12.00
11	अमरोहा	15.00	15.00
12	सम्भल	3.00	3.00
13	रामपुर	9.00	9.00
	मुरादाबाद क्षेत्र	**84.00**	**84.00**
14	बरेली	22.20	22.20
15	पीलीभीत	18.60	18.60
16	शाहजहॉपुर	15.00	15.00
17	बदायूँ	6.00	6.00
18	अलीगढ़	9.00	9.00
19	कासगंज	3.00	3.00
	बरेली क्षेत्र	**73.80**	**73.80**
20	फरूर्खाबाद	3.00	3.00
21	लखीमपुर	48.60	48.60
22	रायबरेली	0.60	0.60
23	कानुपर	2.40	2.40
24	सीतापुर	24.60	24.60
25	हरदोई	9.30	9.30
	लखनऊ क्षेत्र	**88.50**	**88.50**
26	बाराबंकी	0.60	0.60

http://shasanadesh.up.nic.in

27	फैजाबाद	7.50	7.50
28	अम्बेडकरनगर	4.50	4.50
29	सुल्तानुपर	3.00	3.00
30	जौनपुर	0.90	0.90
31	गाजीपुर	0.90	0.90
32	वाराणसी	0.90	0.90
	फैजाबाद क्षेत्र	18.30	18.30
33	बहराइच	18.30	18.30
34	गोण्डा	16.50	16.50
35	बलरामपुर	18.90	18.90
	देबीपाटन क्षेत्र	**53.70**	**53.70**
36	बस्ती	12.00	12.00
37	गोरखपुर	2.40	2.40
38	महराजगंज	3.00	3.00
39	सिद्धार्थनगर	0.00	0.00
	गोरखपुर क्षेत्र	17.40	17.40
40	कुशीनगर	12.00	12.00
41	देवरिया	8.40	8.40
42	मऊ	1.80	1.80
43	आजमगढ	3.00	3.00
44	बलिया	0.90	0.90
	देवरिया क्षेत्र	**26.10**	**26.10**
	योग प्रदेश	**492.30**	**492.30**
	गन्ना किसान संस्थान (Exosure Visit)		**5.50**
	मुख्य प्रचार अधिकारी, मुख्यालय		**2.20**
	कुल योग		**500.00**

(रू0 पांच करोड़ मात्र)

नोटः-1- जनपद शामली, हापुड़ तथा सम्भल का आहरण क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी, मुजफ्फरनगर गाजियाबाद तथा मुरादाबाद द्वारा किया जायेगा।

2- जनपद अम्बेडकर नगर की धनराशि का आवंटन फैजाबाद के आवंटन में संयुक्त (क्लब) किया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी, फैजाबाद धन आहरित कर जनपद अम्बेडकर नगर को आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध करायेंगे।

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या-8/2550 सी0डी0/46-3-14-1000(56)/2014, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 का संलग्नक-3

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए कृषि विभाग द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 823.50 लाख(रुपया आठ करोड़ तेइस लाख पचास हजार मात्र) का जनपद/कार्यक्रमवार फॉट

(धनराशि-लाख रू0)

क्र0सं0	नाम जनपद	नाम कार्यक्रम
		प्रदर्शन
1	2	3
1	सहारनपुर	35.00
2	मुजफ्फरनगर	47.00
3	शामली	19.46
	सहारनपुर क्षेत्र	101.52
4	मेरठ	**39.89**
5	गाजियाबाद	6.61
6	बुलन्दशहर	19.92
7	बागपत	27.04
8	हापुड़	9.43
	मेरठ क्षेत्र	102.89
9	बिजनौर	77.28
10	रामपुर	10.48
11	मुरादाबाद	20.72
12	अमरोहा	24.19
13	सम्भल	13.27
	मुरादाबाद क्षेत्र	**145.94**
14	अलीगढ़	4.98
15	मथुरा	0.25
16	बरेली	30.61
17	पीलीभीत	29.85
18	शाहजहॉपुर	23.50
19	बदायूँ	8.02
20	कासगंज	2.19
	बरेली क्षेत्र	**99.40**
21	फरूर्खाबाद	5.82
22	कानुपर	2.68
23	रायबरेली	0.98
24	सीतापुर	50.87
25	लखीमपुर	92.74
26	हरदोई	15.30
	लखनऊ क्षेत्र	**168.39**
27	बाराबंकी	2.92
28	फैजाबाद	19.92

http://shasanadesh.up.nic.in

29	सुल्तानुपर	3.71
30	जौनपुर	1.05
31	गाजीपुर	1.30
32	वाराणसी	0.90
	फैजाबाद क्षेत्र	**29.80**
33	बहराइच	28.59
34	गोण्डा	28.77
35	बलरामपुर	34.16
	देबीपाटन क्षेत्र	**91.92**
36	बस्ती	26.83
37	सिद्धार्थनगर	1.00
38	गोरखपुर	1.89
39	महराजगंज	7.31
	गोरखपुर क्षेत्र	**37.03**
40	कुशीनगर	31.14
41	देवरिया	5.28
42	मऊ	4.24
43	आजमगढ	4.83
44	बलिया	**1.52**
	देवरिया क्षेत्र	**47.01**
	योग प्रदेश	**823.50**

((रू0 आठ करोड़ तेइस लाख् पचास हजार मात्र)

नोटः-1- जनपद शामलीद हापुड़ तथा सम्भल का आहरण क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी] मुजफ्फरनगर] गाजियाबाद तथा मुरादाबाद द्वारा किया जायेगा।

2- जनपद अम्बेडकर नगर की धनराशि का आवंटन फैजाबाद के आवंटन में संयुक्त (क्लब) किया जायेगा। जिला गन्ना अधिकारी] फैजाबाद धन आहरित कर जनपद अम्बेडकर नगर को आवश्यकतानुसार धन उपलब्ध करायेंगे।

(राम मोहन सक्सेना)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in